



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 202]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 3, 1985/वैशाख 13, 1907

No. 202]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 3, 1985/VAISAKHA 13, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 1985

सा. का. नि. 399(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहायक इंजीनियर (आकाशवाणी और दूरदर्शन समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1982 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सहायक इंजीनियर (आकाशवाणी और दूरदर्शन समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सहायक इंजीनियर (आकाशवाणी और दूरदर्शन समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1982 की अनुसूची में,—

(i) स्तंभ 11 में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“प्रोन्नति

(क) 25 प्रतिशत प्रोन्नति कोटा :-

इन नियमों के परिशिष्ट 1 में अधिकथित उपबंधों के अनुसार चयन द्वारा।

(ख) 75 प्रतिशत प्रोन्नति कोटा :

इन नियमों के परिशिष्ट 2 और 3 में अधिकथित उपबंधों के अनुसार आयोजित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन द्वारा।

टिप्पण : ऐसे अधिकारियों की जो उपर्युक्त कोटों के अधीन चयन किए जाते हैं, पारस्परिक ज्येष्ठता, 25 प्रतिशत प्रोन्नति कोटा में चयन किए गए अधि-

कारियों से प्रारम्भ करके 1 : 3 के अनुपात में रिक्तियों के चक्रानुक्रम के आधार पर नियत की जाएगी।”

- (ii) परिशिष्ट 1 के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परिशिष्ट 1
(नियम 3 देखें)

25 प्रतिशत कोटा में चयन द्वारा प्रोन्नति

- (1) चयन द्वारा प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की जाएगी। विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति के लिए विचारार्थ पात्रता निम्नलिखित रूप में होगी :—

- (क) ऐसे ज्येष्ठ इंजीनियरी सहायक, जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसे ज्येष्ठ इंजीनियरी सहायक, जिन्होंने ज्येष्ठ इंजीनियरी सहायक और इंजीनियरी सहायक की श्रेणियों में आठ वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास ऐसी शैक्षिक अर्हताएं हैं जो आकाशवाणी और दूरदर्शन में इंजीनियरी सहायक के पद पर सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताओं से नीचे की नहीं हैं।

- (2) प्रोन्नति के लिए पात्रता उस वर्ष की एक जनवरी को अवधारित की जाएगी जिस वर्ष विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक होती है।

- (3) प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची निम्नलिखित रूप में तैयार की जाएगी :—

- (क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को उसमें सम्मिलित किए गए अधिकारियों के संबंध में विद्यमान अखिल भारतीय ज्येष्ठता सूची आधार होगी।
- (ख) उसके पश्चात् ज्येष्ठ इंजीनियरी सहायक की श्रेणी में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की बावत, अधिकारियों के नाम, ज्येष्ठ इंजीनियरी सहायक की श्रेणी में उनकी नियमित नियुक्ति की तारीखों के आधार पर, उनके अपने-अपने क्षेत्रीय काडर की उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बनाये रखने के अधीन रहते हुए, जोड़े जाएंगे। एक ही तारीख को विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त किए गए अधिकारियों की दशा में, इंजीनियरी सहायक की श्रेणी में उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख से उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता का अवधारण किया जाएगा।”

- (iii) परिशिष्ट 2 के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परिशिष्ट 2
(नियम 3 देखें)

75 प्रतिशत कोटा में विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति

- (1) (क) प्रोन्नति, एक ऐसे पैनल में, जिसमें विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में और गोपनीय रिपोर्टों के निर्धारण के आधार पर प्राप्त अधिकतम अंकों के कुल जोड़ के अनुसार क्रमांकित अभ्यर्थियों के नाम हैं, की जाएगी;
- (ख) लिखित प्रश्नपत्र के लिए और गोपनीय रिपोर्टों के अधिकतम अंक 7 : 3 के अनुपात में होंगे।
- (2) निम्नलिखित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे :—

(क) ऐसे ज्येष्ठ इंजीनियरी सहायक, जिन्होंने उस वर्ष की जिसमें परीक्षा ली जाती है एक जनवरी को ज्येष्ठ इंजीनियरी सहायक और इंजीनियरी सहायक की श्रेणी में कुल मिलाकर 8 वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास ऐसी अर्हताएं हैं जो आकाशवाणी और दूरदर्शन में इंजीनियरी सहायक के पदों पर सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताओं से नीचे की नहीं है।

टिप्पण :—उपर्युक्त पात्रता मानक का एक नियमों के प्रारम्भ की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के पश्चात् पुनर्विलोकन किया जाएगा।”

- (iv) परिशिष्ट 3 के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परिशिष्ट 3
(नियम 3 देखें)

विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विषय निम्नलिखित रूप में होंगे :—

- (1) साधारण मानक की प्रसारण इंजीनियरी पर एक प्रश्नपत्र—100 अंक :—
- (क) ध्वनि प्रसारण, या
- (ख) दूरदर्शन प्रसारण।
- (2) विशिष्ट विषयों पर एक प्रश्नपत्र—100 अंक :—
- (क) ध्वनि प्रेषित और एरियल, या
- (ख) ध्वनि स्टुडियो, ऑडियो रिकार्डिंग, ग्राही केन्द्र और बाह्य प्रसारण, या

- (ग) दूरदर्शन प्रेषित और एरियल, या
(घ) दूरदर्शन स्टुडियो, विडियो रिकार्डिंग; दूरदर्शन
ग्राही और बाह्य प्रसारण

(3) साधारण विषयों पर एक प्रश्नपत्र—100 अंक :—

(क) सुरक्षा पूर्ववधानियां, जिनके अन्तर्गत
प्राथमिक उपचार, भंडार क्रय नियम और
अग्नि शामक हैं—50 अंक

(ख) शक्ति प्रदाय प्रणाली, वातानुकूलन और
संवातन तथा डीजल जनरेटरों के सिद्धांत—
50 अंक

टिप्पण :—यदि कोई अभ्यर्थी प्रश्नपत्र (i) (क) लेता है तो
उसे प्रश्नपत्र (ii) (क) या (ii) (ख) लेना
होगा। यदि वह (i) (ख) लेता है तो उसे (ii) (ग)
या (ii) (घ) लेना होगा। प्रश्नपत्र (iii) अनिवार्य
होगा।

2. परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम वह होगा जो आकाश-
वाणी महानिदेशालय [कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी)]
समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।”

[सं. 310/10/79-बी (डी)]

पी. के. सरकार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : सहायक इंजीनियर (आकाशवाणी और दूरदर्शन
समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1982. भारत
के राजपत्र में सा. का. नि. सं. 488(अ),
तारीख 7 जूलाई, 1982, के अधीन प्रकाशित
किए गए थे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 1985

GSR 399(E).—In exercise of the powers conferred
by the proviso to article 309 of the Constitution,
the President hereby makes the following rules further
to amend the Assistant Engineers (Akashvani
and Doordarshan Group 'B' posts) Recruitment
Rules 1982, namely :—

(1) These rules may be called the Assistant Engi-
neers (Akashvani and Doordarshan Group 'B' Posts)
Recruitment (Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their
publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Assistant Engineers
(Akashvani and Doordarshan Group 'B' posts) Rec-
ruitment Rules 1982,—

(i) in column 11, for the entry, the following
entry shall be substituted, namely:—

“Promotion

(a) 25 per cent of the promotion quota :—

By selection in accordance with provisions
laid down in Appendix I to these rules.

(b) 75 per cent of the promotion quota :—
By selection on the basis of Deptmen-
tal Competitive Examination conducted
in accordance with provisions laid
down in Appendices II and III to these
rules.

Note : The inter-se seniority of officers who
are selected under the above quotes shall
be fixed on the basis of rotation of vacan-
cies in the ratio of 1 : 3 starting with the
officers selected against 25 per cent pro-
motion quota.”;

(ii) for Appendix I, the following Appendix
shall be substituted, namely :—

“APPENDIX I

(See rule 3)

Promotion by selection against 25 per cent quota:—

(1) The promotion by selection shall be made
by the Departmental Promotion Committee. The
eligibility for consideration for promotion by the De-
partmental Promotion Committee shall be as
follows:—

(a) Senior Engineering Assistants with 3 years
regular service in the grade; failing which
Senior Engineering Assistants with 8 years
combined regular service in the grades of
Senior Engineering Assistant and Engi-
neering Assistant; and

(b) Possessing educational qualifications not
lower than those prescribed for direct rec-
ruits to the post of Engineering Assistant
in the Akashvani and Doordarshan.

(2) The eligibility for promotion shall be deter-
mined as on the 1st of January of the year in which
the Departmental Promotion Committee meets.

(3) The eligibility list for promotion shall be
prepared as under :—

(a) As on the date of commencement of these
rules, the existing all India seniority list
would form the basis in relation to officers
included therein.

(b) In respect of those appointed to the grade
of Senior Engineering Assistant thereafter,
the names of officers will be added on the
basis of the dates of their regular appoint-
ment to the grade of Senior Engineering
Assistant subject to maintenance of their
inter-se seniority in the respective regional
cadres. In case of officers appointed in
different regions on the same date, the date
of their regular appointment to the grade
of Engineering Assistant shall determine
their inter-se position.”;

(iii) for the Appendix II, the following Appendix shall be substituted, namely :—

“APPENDIX II

(See rule 3)

Promotion on the basis of Departmental Competitive Examination against 75 per cent quota.

(1) (a) The promotion shall be made from a panel containing the names of candidates arranged according to the sum total of highest marks obtained in the Departmental Competitive Examination and on the assessment of the C. Rs.

(b) The maximum marks for the written paper and in the C. Rs. will be in the ratio of 7 : 3.

(2) The following shall be eligible to participate in the Departmental Competitive Examination:—

(a) Senior Engineering Assistants with 8 years' regular service in the grade of Senior Engineering Assistant and Engineering Assistant combined together, as on 1st of January of the year in which the examination is held; and

(b) Possessing qualifications not lower than those prescribed for direct recruits to the posts of Engineering Assistant in the Akashvani and Doordarshan.

Note : The above eligibility criteria shall be reviewed after a period of 5 years from the date of commencement of these rules.”

(iv) for appendix III, the following Appendix shall be substituted, namely:—

“APPENDIX III

(See rule 3)

Standard and Syllabus of Departmental Competitive Examination

The subject for the Departmental Competitive Examination shall be as follows :—

(i) One paper on Broadcast Engineering of general standard in 100 marks :—

- (a) Sound Broadcasting, or
- (b) Television Broadcasting.

(ii) One paper of Specialised subjects—100 marks :—

- (a) Sound Transmitters and arials, or
- (b) Sound Studios, Audio Recording, Receiving Centres and outside Broadcasts, or
- (c) Television Transmitters and arials, or
- (d) Television Studios, Video Recordings, TV Receivers and outside Broadcasts.

(iii) One paper on general subjects—100 marks :—

- (a) Safety precautions including first aid, store purchase rules and fire fighting—50 marks.
- (b) Principles of Power Supply Systems, Air-conditioning and Ventilation and Diesel Generators—50 marks.

Note : If a candidate takes paper (i) (a) he will have to take paper (ii) (a) or (ii) (b). If he takes (i) (b) then he will have to take (ii) (c) or (ii) (d). Paper (iii) will be compulsory.

2. The standard and syllabus of the examination shall be such as Directorate General [Staff Training Institute (Technical)] of Akashvani may specify from time to time.”

[No. 310/10/79-B(D)]

P. K. SARKAR, Jt. Secy.

Footnote:—The Assistant Engineers (Akashvani and Doordarshan Group ‘B’ posts) Recruitment Rules, 1982, were published in the Gazette of India under GSR No. 488(E) on 7th July, 1982.